



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253106
CG-DL-E-16032024-253106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 1352]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1418(अ).—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 15 जून, 2016 में प्रकाशित, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2120 (अ.), तारीख 15 जून 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उपरोक्त अधिसूचना में,-

- (i) **सदस्य**, (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त) शीर्षक के अंतर्गत, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियोक्ताओं के संगठनों के परामर्श से, क्रम संख्या 26, 27 और 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात:-

“26. डॉ. जतिंदर सिंह

सहायक महासचिव

पीएचडीसीसीआई

4/2 श्री इन्स्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग

नई दिल्ली-110016.

27. श्री प्रमोद कुमार सिंघानिया

अध्यक्ष

इंडियन काउन्सिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़

गोरागाचा रोड, सुखदेवपुर, वार्ड सं. 15

(शीतला मंदिर के समीप), डाक गोनीपुर,

कोलकाता-700141

28. श्री शुभ रत्ना

महाप्रबंधक (टेक एवं एचआर), स्कोप

प्रथम तल, कोर सं. 08, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.”

- (ii) **सदस्य**, (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त) शीर्षक के अंतर्गत, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से, क्रम संख्या 29, 30 और 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात:-

“29. सुश्री वाहिदा निजाम

राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस

एआईटीयूसी भवन, 35-36, डी.डी.यू. मार्ग, राउज़ ऐवन्यू

नई दिल्ली-110002

30. श्री दीपक कुमार जायसवाल

अध्यक्ष, एनएफआईटीयू (डीएचएन)

श्रमिक सदन, मेन रोड, विद्या नगर,

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495004.

31. श्री राज बिहार शर्मा

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)

दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन, 27, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

राउज़ ऐवन्यू, नई दिल्ली-110002.”;

- (iii) **सदस्य**, (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त) शीर्षक के अंतर्गत, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के संगठनों के परामर्श से, क्रम संख्या 32 और 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात:-

“32. डॉ. अनिल भारद्वाज

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक काँग्रेस

मकान सं. 2783, सेक्टर-37-सी

चंडीगढ़-160036.

33. डॉ. अदित केतन देसाई

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
 7, फ्रेंड्स ऐवन्यू सोसाइटी, सिंधु भवन रोड
 कार्यालय एस.जी. हाईवे रोड, बोडकडेव, अहमदाबाद
 गुजरात-380059.”.

[फा. सं. यू-16012/03/2023-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 2120 (अ), तारीख 15 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 221 (अ), तारीख 20 जनवरी, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1418(E).—In pursuance of section 10 of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, issued vide number S.O. 2120(E), dated the 15th June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 15th June, 2016, namely:-

In the said notification,-

(i) under the heading, MEMBERS, (Appointed by the Central Government under clause (e) of sub-section (1) of Section 10) in consultation with organizations of employers recognized by the Central Government for the purpose, for serial numbers 26, 27 and 28 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be respectively substituted, namely:-

“26. Dr. Jatinder Singh

Assistant Secretary General

PHDCCI

4/2 Sri Institutional Area, August Kranti Marg

New Delhi -110016.

27. Shri Pramod Kumar Singhania

President

Indian Council of Small Industries

Goragacha Road, Sukdhevpur, Ward No. 15

(Near Sitala Mandir), P.O Gonipur, Kolkata-700141.

28. Shri Subh Ratna

GM (Tech. &HR), SCOPE

1st Floor, Core no. 08, SCOPE Complex 7

Lodhi Road, New Delhi -110003.”;

(ii) under the heading, MEMBERS, (Appointed by the Central Government under clause (f) of sub-section (1) of Section 10) in consultation with organizations of employees recognized by the Central Government for the purpose, for serial numbers 29, 30 and 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be respectively substituted, namely:-

“29. Ms. Vahidha Nizam

National Secretary, All India Trade Union Congress
AITUC Bhawan, 35-36, D.D.U Marg, Rouse Avenue
New Delhi -110002

30. Shri Deepak Kumar Jaiswal

President, NFITU (DHN)

Shramik Sadan, Main Road, Vidya Nagar
Bilaspur (C.G) -495004.

31. Shri Raj Bihar Sharma

Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS)

Dattopant Thengadi Bhawan, 27, Deendayal Upadhyay Marg
Rouse Avenue, New Delhi -110002.”;

(iii) under the heading, MEMBERS, (Appointed by the Central Government under clause (g) of sub-section (1) of section 10) in consultation with organizations of Medical Practitioners recognized by the Central Government for the purpose, for serial numbers 32 and 33 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be respectively substituted, namely:-

“32. Dr. Anil Bhardwaj

All India Ayurvedic Congress
H.No. 2783, Sec-37-C
Chandigarh-160036.

33. Dr. Adit Ketan Desai

Indian Medical Association
7, Friends Avenue Society, Sindhu Bhawan Road
Off. S.G Highway Road, Bodakdev, Ahmedabad
Gujrat-380059.”.

[F. No. U-16012/03/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2120(E) dated the 15th June, 2016 and subsequently amended vide notification number S.O. 221 (E) dated the 20th January, 2017.